फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस.एच.ओ. फागी बनाम देवकरण

केस संख्या 31 /2023 (गोवंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप
02-02-2023	उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बिना चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के पिकअप में ठूंस ठूंस कर कुल 5 गो वंश को गो कशी के लिए ले जाते पाया गया है। वाहन की इस कृत्य में संलिप्तता नहीं है, यह साबित करने में अप्रार्थी नाकामयाब रहा। गाड़ी मालिक अबेटर श्रेणी में आता है। पिकअप में परिवहन किये जाने वाले माल के विक्रय मूल्य 6,00,000/–रूपये को बाजार मूल्य माना जा सकता है। अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक में साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनाधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जाने का प्रावधान है। अतः 10,000/–अक्षरे दस हजार रूपये जुर्माना राशि " पशु क्रुरता निवारण समिति जयपुर पूर्व देना बैंक एम आई रोड जयपुर खाता संख्या 014210008024 वर्तमान बैंक ऑफ बड़ौदा " में जमा कराता है, तो यदि किसी अन्य प्रकरण में उक्त वाहन वांछित नही हो तो पिकअप को छोड़ दिया जाये और यदि जुर्माना एक माह में जमा नहीं कराता है, तो पिकअप को जब्त कर लिया जावे। साथ ही वाहन मालिक शपथ पत्र इस आशय का पेश करें कि कार्यवाही मुकदमा के दौरान वह उक्त वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा और ना ही रंग रोगन करेगा। जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, वाहन को प्रस्तुत कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 02.03.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर जयपुर
2-2-23 [illegible] 10/3/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप० है। वकील अप्रार्थी ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 2.2.23 की पालना में अपेक्षित शपथ पत्र व जुर्माना राशी 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपया आज दिनांक 2.2.23 को बैंक ऑफ बड़ौदा में पशु क्रुरता निवारण समिति के खाते में जमा कराकर रसीद की फोटो प्रति प्रस्तुत कर दी है। अतः मोचन आदेश S.H.O फागी को जारी हो, कि यदि किसी अन्य प्रकरण में उक्त वाहन वांछित नहीं हो तो वाहन स्वामी को वाहन सं. RJ-52-GA-0140 सुपुर्द कर दिया जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर जयपुर